मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ 25/194/2000/चार/पी.डबल्यू.सी. भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2001

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषयः- पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु शासन द्वारा संभागीय आयुक्त को प्रत्यायोजित अधिकारों में संशोधन।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-252094पी.डबल्यू.सी.चार, दिनांक 8.8.995 के द्वारा जून, 1995 से पेशंन प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया को संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत करते हुए अनेक अधिकारों का प्रत्यायोजन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को तथा इस उद्देश्य से कि यदि कोई ऐसा मामला है, जिसमें प्रत्यायोजन नहीं हुआ है, तो पेंशन प्रकरणों के अंतिम निराकरण करने के लिए Residuary क्क ा2द्गह्म का प्रत्यायोजन संभागीय कमिश्नर को किया गया है।

2. वित्त विभाग द्वारा उनके ज्ञाप क्र. एफ-252094पी.डबल्यू.सी.चार, दिनांक 28.1.97 एवं ज्ञाप दिनांक 21.3.97 97 द्वारा यह मार्गदर्शन जारी किये गये हैं, जिनमें स्पष्ट है कि अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि के नियमन, अवकाश, सेवा में टूट, डॉयज नॉन मान्य किये जाने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का है। किंतु प्रशासकीय विभाग ऐसे मामलों का लम्बे समय तक निराकरण नहीं करते हैं, और जब शासकीय अधिकारीकर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाला होता है, तब बिना प्रकरण का परीक्षण कर पेंशन प्रकरण अग्रेषित कर दिए जाते हैं। उस स्थिति में Residuary Power के अंतर्गत सवीकृति प्रदान की जाती है।किंतु पेंशन प्रकरण के निराकरण होने पर यदि संबंधित पेंशरन किसी बिंदु पर असंतुष्ट रहता है और न्यायालय की शरण लेता है तब संभागीय कमि ा/र को भी पक्षकार बना लिया जाता है। जबकि संभागीय कमि ा/र का, शासकीय अधिकारीकर्मचारी के सेवाकाल के ऐसे मामलों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई प्रकरणों में न्यायालय की अवमानना का सामना भी करना पड़ता है।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समुचित विचारोपरांत शासन ने यह निर्णय लिया है कि शासकीय सेवक की सेवा के दौरान लंबित अनधिकृत अनुपस्थिति, अनिर्णित पड़े अवकाश आदि के संबंध में, अवकाश स्वीकृत करने अथवा सेवा में टूटडायजनान मानने बाबत निर्णय विभागीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जायेंगे। कार्यालय प्रमुख संबंधित शासकीय सेवक का पेंशन प्रकरण भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि सेवा के दौरान ऐसी सभी अवधियों का निराकरण कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अशोक दास)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. एफ 25/194/2000/चार/पी.डबल्यू.सी. भोपाल दिनांक 29 जनवरी, 2001

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर । सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. निज सचिवनिज सहायक, समस्त मंत्रीराज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुरइंदौरग्वालियर
12. महाधिवक्ताउपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुरइंदौरग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)(आडिट)-12 मध्यप्रदेश, ग्वालियरभोपाल।
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डलमाध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिवसचिवउप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी) वल्लभ भवन, भोपाल ।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनसंघ
21. अध्यक्ष, म.प्र. पेंशनर्स एसोसियेशन, बंगलौर, कर्नाटक
22. समस्त संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
24 सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
25 सदस्य पेंशनर कल्याण मण्डल
26 निगरानी प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
27 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता-
(के.एन. पंत)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त
विभाग